

गहोबग जी,

निर्देश है कि गण परलाई खुई प-ठ. टोली का जुधारिया की जमाबंदी सम्वत् 2072-75 की खाता संख्या 36 में सहायदेदार बरदीचन्द के पिता का नाम रतना ली है जबकि आधार कार्ड में सहायदेदार बरदीचन्द के पिता का नाम रतनलाल लिखा है अतः खाता संख्या में रतना के बजाय रतनलाल लिखा जाना उचित है।

[Handwritten signature]
30/5/18
4914
11/6/18
2007

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

रिपोर्ट पटवारी हल्का अ क्र नं० के आधार पर जांच के पिता का नाम रतना के बजाय रतनलाल किया जाना उचित है।

[Handwritten signature]
11/6/18
तहसीलदार
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

आदेश

प्र-पत्र 406/18

01/06/2018 हस्व राय तहसीलदार रावतभाटा के आधार पर ग्राम परलाई खुई प-ठ. टोली का जुधारिया भू.अ.नि. जाबदा की जमाबंदी सम्वत् 2072-75 के खाता संख्या 36 में बरदीचन्द पिता रतना के बजाय बरदीचन्द पिता रतनलाल दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते हैं।

2018/00358

[Handwritten signature]
नयबतहसीलदार
रावतभाटा